"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2014—ज्येष्ठ 16, शक 1936

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2014

क्रमांक ई-1-7-2004/1/2.—राज्य शासन द्वारा श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (सीजी : 1986) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. एवं पदेन प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन कार्य हेतु) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (सीजी : 1983) केवल ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे तथा उनकी शेष पदस्थापना यथावत् रहेगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014

3. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना क्रमांक 154/सीएचएच/2014 ईपीएस दिनांक 23-05-2014 के अनुक्रम में श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994) अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2014

क्रमांक एफ 9-5/2012/1-8.—श्री ए. पी. त्रिपाठी, अतिरिक्त महाप्रबंधक, दूरसंचार सेवा (1993 बैच) की सेवाएं, प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-08-2012 द्वारा इन्हें संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग पदस्थ किया गया था. ततपश्चात विभागीय आदेश दिनांक 12-03-2013 द्वारा इन्हें संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा श्री त्रिपाठी को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग पदनामित किया जाता है.

3. श्री त्रिपाठी को सार्वजनिक उपक्रम विभाग का सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार एवं इनकी प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2014

क्रमांक 1121/579/2004/1-8.—श्री एस. के. बेहार, भा.प्र. सेवा (सेवानिवृत्त) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), आवास एवं पर्यावरण, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय का प्रभार भी सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2014

क्रमांक एफ 4-4/2012/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ चन्द्राकर, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 21-04-2014 से 25-04-2014 (05 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश एवं अवकाश पूर्व दिनांक 18, 19 एवं 20 अप्रैल, 2014 (गुड फ्राईडे एवं द्वितीय शनिवार एवं रविवार) एवं अवकाश पश्चात् दिनांक 26 एवं 27 अप्रैल, 2014 (शनिवार एवं रविवार) का सार्वजनिक अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 20 मई 2014

क्रमांक एफ-7/14/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एच. आर. मनहर, भापुसे, सेनानी 14वीं वाहिनी, छसबल, दल्लीराजहरा, कैम्प भिलाई, छ.ग. को दिनांक 31-01-2014 से दिनांक 14-02-2014 तक (15 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16-02-2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री एच. आर. मनहर को वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश के जाने से पूर्व मिलते थे.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. आर. मनहर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 मई 2014

क्रमांक एफ 7/15/2014/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री एस. एस. सोरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर को दिनांक 06-02-2014 से दिनांक 20-02-2014 तक (15 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री एस. एस. सोरी को वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश के जाने से पूर्व मिलते थे.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. सोरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2014

क्रमांक एफ 1-03/2012/एक-14/भापुसे.—पुलिस महानिदेशक, छ.ग. के आदेश क्रमांक पुमु/1/स्था/2/एक-1928/2014 दिनांक 08-05-2014 द्वारा श्रीमती नेहा चंपावत, भापुसे (2004) को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से वापसी उपरांत सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश दिनांक 08-05-2014 की पुष्टि करता है.

नया रायपुर, दिनांक 24 मई 2014

क्रमांक ई 7-01/2013/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री रीता शाण्डिल्य, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को दिनांक 26-05-2014 से 31-05-2014 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है. साथ ही दिनांक 25 मई, 2014 एवं 01 जून, 2014 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री रीता शाण्डिल्य, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री शाण्डिल्य को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री शाण्डिल्य, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. सुश्री रीता शाण्डिल्य, के उक्त अवकाश अवधि में श्री छत्तरसिंह डेहरे, उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर का कार्य भी संपादित करेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2014

क्रमांक एफ-1/32/2013/एक-14/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. के. अग्रवाल, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, छ.ग. रायपुर को दिनांक 16-06-2014 से दिनांक 23-06-2014 तक (08 दिवस) अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही दिनांक 13, 14 एवं 15-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री के. के. अग्रवाल को वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2014

क्रमांक 336/241/अव./2014/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 15-04-2014 से 17-04-2014 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 12, 13, 14, 18, 19, 20-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्रमांक 338/263/अव./2014/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 02-05-2014 से 13-05-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्रमांक 965/901/अव./2014/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 299-300/86/अव./2014/1-8/स्था, दिनांक 27-03-2014 द्वारा श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 15-04-2014 से 17-04-2014 तक 03 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2014

क्रमांक 342/259/अव./2014/1-8/स्था.—श्री आलोक कुमार राय, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 18-03-2014 से 22-03-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 15, 16, 17, 23-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार राय आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री आलोक कुमार राय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2014

क्रमांक 344/266/अव./2014/1 8/स्था.- श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 05-05-2014 से 09-05-2014 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 04, 10, 11-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 3 मई 2014

क्रमांक 346/231/अव./2014/1-8/स्था.—श्री एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 24-03-2014 से 11-04-2014 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 23-03- 2014 एवं 12, 13, 14-04-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. आर. ठाकुर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. आर. ठाकुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक 348/273/अव./2014/1-8/स्था.—श्री याकुब खेस्स, उप सचिव, जल संसाधन विभाग को दिनांक 19-05-2014 से 31-05-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18-05-2014 एवं 01-06-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री याकुब खेस्स आगामी आदेश तक उप सचिव, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री याकुब खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री याकुब खेस्स अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 8 मई 2014

क्रमांक 350/317/अव./2014/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 12-05-2014 से 24-05-2014 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10, 11, 25-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 9 मई 2014

क्रमांक 1061/335/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 19-05-2014 से 24-05-2014 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18, 25-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. त्रिपाठी आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. पी. त्रिपाठी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक 358/332/अव./2014/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 05-05-2014 से 16-05-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 04, 17, 18-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक आगामी आदेश तक उप सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती अमृता बेक को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक 360/309/अव./2014/1-8/स्था.—श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 05-05-2014 से 16-05-2014 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 04, 17, 18-05-2014 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विनोद कुमार वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 मई 2014

क्रमांक 2272/एफ-14-14/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 41 (1) (च) में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा के निम्नांकित माननीय सदस्यों को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के सदस्य नामांकित करती है.

1. श्रीमती चम्पादेवी पावले, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र-01 भरतपुर-सोनहट (अ.ज.जा.)
2. श्री शिवरतन शर्मा, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र-46 भाटापारा
3. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र-71 पण्डरिया

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2014

क्रमांक एफ 1-7/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) राजपत्रित सेवा की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—** (1) ये नियम छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हाथकरघा) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :—** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :—
(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
(ग) "समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति या चयन समिति;
(घ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा;
(ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5, पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा) राजपत्रित सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन के लिए पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन पर अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रीमीलेयर) से संबंधित हों तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा; परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफरिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(चार) अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशण्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

टीप–(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात, सेवा से त्याग–पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त संवर्गों के किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) **फीस.**— (क) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(1) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक

समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.**— (1) चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नही किया गया हो, परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अनुज्ञात नही किया जायेगा।

(2) चयन प्रक्रिया के प्रक्रम पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा समाप्त कर दिया जायेगा।

11. **चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अन्तरालों से किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(2) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना तथा निर्देश के अनुसार ली जायेगी जैसा कि शासन द्वारा, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर जारी किया जाये।

(3) सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।

(4) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिये 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा।

(6) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक के लिये पद, शासन द्वारा समय–समय पर जारी अधिनियम/नियम/आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त, उन अभ्यर्थी की, जो महिला/निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जो आरक्षण के परिणामस्वरूप चयनित किये गये हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए, नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, आयोग से परामर्श पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

12. **आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनके (ऐसे अभ्यर्थियों के) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगा, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिये शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोग द्वारा प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक चयन सूची तैयार की जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित

होंगे। सूची की वैधता, ऐसे चयन सूची के जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष की होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिए, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, अंक को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

(4) आयोग, उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।

(5) इस नियम तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जावे, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(7) किसी अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने, उपस्थिति दर्ज न कराने या त्यागपत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

(8) यदि प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का नाम भेजे जाने के लिये शासन से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रतीक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।

(9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, शासन को युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए अधिकतम 6 माह की कालावधि के लिए, चयन सूची की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकेगा।

(10) प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि किये जाने पर, प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वतः वृद्धि हो जाना माना जायेगा।

(11) उप-नियम (8) एवं (9) के अधीन तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी, जब तक कि शासन, वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश नहीं करता।

13. परिवीक्षा.– (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) यदि कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि, अधिकतम एक वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

(3) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी, अधिकारी बनने हेतु योग्य नही है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.–** (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) (एक) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पद तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो वहां विचार का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचार के क्षेत्र में कुल रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचार क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचार के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति

तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(4) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं न्यूनतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण किया जायेगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हैं, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

17. **आयोग से परामर्श.–** (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:–

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

(दो) अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख, जिनका सूची में यथा अनुशंसित अवक्रमण प्रस्तावित है।

(तीन) अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अवक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।

(चार) समिति की अनुशंसाओं पर शासन की टिप्पणियां।

(2) यदि पदोन्नति समिति में, आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित किया गया हो, उपस्थित रहें हों तथा यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी तथा यह माना जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खंड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है तथा आयोग से पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

18. **चयन सूची.–** (1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसे प्रतीत हो कि इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नही है, तो उसे (सूची को) अनुमोदित करेगा।

(2) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिर्वतन करना आवश्यक समझे, तो आयोग, प्रस्तावित परिवर्तन से शासन को सूचित करेगा तथा यदि शासन, विचार करने के पश्चात्, कोई मत प्रकट करे, तो ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित चयन सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर, सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची साधारणतः इसके तैयार किये जाने की तारीख से कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक विधिमान्य रहेगी।

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा–संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो शासन की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

20. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधे अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

21. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

23. निरसन एवं **व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)
सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक, ग्रामोद्योग	01	भारतीय प्रशासनिक सेवा उच्च श्रेणी	उच्च श्रेणी वेतनमान
2.	अपर संचालक, ग्रामोद्योग	01	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	37400–67000 ग्रेड वेतन 8700
3.	संयुक्त संचालक (हथकरघा)	01	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	15600–39100 ग्रेड वेतन 6700
4.	उप संचालक (हथकरघा)	05	–तदैव–	15600–39100 ग्रेड वेतन 6600
5.	सहायक संचालक (तकनीकी)	01	–तदैव–	15600–39100 ग्रेड वेतन 6600
6.	सहायक संचालक (हथकरघा/हस्तशिल्प विकास अधिकारी)	10	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा प्रभाग) (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400
7.	सहायक संचालक (तकनीकी)	02	–तदैव–	15600–39100 ग्रेड वेतन 5400

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)
भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा (देखिये नियम 6 (1) (क))	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (देखिये नियम 6 (1) (ख))	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा (देखिये नियम 6 (1) (ग))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा), छत्तीसगढ़	ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा), छत्तीसगढ़ **राजपत्रित सेवा प्रथम श्रेणी**					
	संचालक ग्रामोद्योग	01	—	—	—	आई.ए.एस. संवर्ग से प्रतिनियुक्ति पर
	अपर संचालक ग्रामोद्योग	01	—	100%	—	संयुक्त संचालक हथकरघा से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा
	संयुक्त संचालक (हथकरघा)	01	—	100%	—	—
	उप संचालक (कार्यकारी)	05	—	100%	—	—
	उप संचालक (तकनीकी)	01	—	100%	—	—
	राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी					—
	सहायक संचालक (हथकरघा) / हस्तशिल्प विकास अधिकारी	10	40%	60%	—	—
	सहायक संचालक तकनीकी	02	40%	60%	—	

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु एवं अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा), छत्तीसगढ़	ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा), छत्तीसगढ़ **राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी**				
	सहायक संचालक (हथकरघा)	21 वर्ष	30 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक उपाधि 2. उन व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जायेगी जो हथकरघा, हस्तशिल्प एवं अन्य लघु उद्योगों एवं सहकारिता से संबंधित कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखतें हों।	
	सहायक संचालक तकनीकी	21 वर्ष	30 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से हथकरघा प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा /टेक्सटाईल विविंग में डिग्री 2. उन व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जायेगी जो टेक्सटाईल उद्योग में कार्य का दो वर्ष का अनुभव रखते हों।	

टीप— छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय—समय पर, जारी आदेश के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु पात्र होने के लिये निम्न पद पर कार्यानुभव की अवधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा)	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा) राजपत्रित सेवा	छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय (हथकरघा) कार्यकारी संवर्ग राजपत्रित सेवा		
	संयुक्त संचालक हथकरघा	अपर संचालक ग्रामोद्योग	05 वर्ष	1. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य — अध्यक्ष 2. सचिव, छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग विभाग — सदस्य 3. संचालक ग्रामोद्योग (हथकरघा) — सदस्य
	उप संचालक (कार्यकारी)/उप संचालक तकनीकी	संयुक्त संचालक हथकरघा	05 वर्ष	—तदैव—
	सहायक संचालक (कार्यकारी)/हस्तशिल्प विकास अधिकारी	उप संचालक (कार्यकारी)	05 वर्ष	—तदैव—
	सहायक संचालक तकनीकी	उप संचालक तकनीकी	05 वर्ष	—तदैव—
	वरिष्ठ निरीक्षक (कार्यकारी)/सहायक हथकरघा अधिकारी/सहायक हस्तशिल्प विकास अधिकारी	सहायक संचालक (कार्यकारी)/हस्तशिल्प विकास अधिकारी	05 वर्ष	—तदैव—
	वरिष्ठ निरीक्षक तकनीकी	सहायक संचालक तकनीकी	05 वर्ष	—तदैव—

रायपुर, दिनांक 15 मई 2014

क्रमांक एफ 1-7/2008/(6) 52.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7/2008/(6)-52 दिनांक 15-5-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur the 15th May 2014

No. F 1-7/2008/(6) 52.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and Conditions of Service of the Chhattisgarh Directorate of Gramodyog (Handloom) Gazetted Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Directorate of Gramodyog (Handloom) Gazetted Service Recruitment Rules, 2014.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

   (a) **"Appointing Authority"** in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;

   (b) **"Commission"** means the Chhattisgarh Public Service Commission;

   (c) **"Committee"** means the Departmental Promotion Committee or Selection Committee as specified in Schedule-IV ;

   (d) **"Examination"** means the competitive examination held for recruitment conducted under Rule 11 of these rules ;

   (e) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

   (f) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

   (g) **"Other Backward Classes"** means a Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No.-F-8-5/XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (h) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;

   (i) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to the State under Article 341 of the Constitution of India.

(j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(k) "Service" means the Chhattisgarh Directorate of Gramodyog (Handloom) Gazetted Service;

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.-** The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the Service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) by direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion of members of the Service;

(c) by transfer/deputation of persons, who hold in substantive capacity such post in such Services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a),(b) and (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, the Government may after consultation with the Commission adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment to the Service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

7. **Appointment in Service.-** All the appointments to the Service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age- (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary Service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units,

for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government Service;

(e) A candidate who is an ex-Servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government Service :-

(i) Ex-Servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-Servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short Service regular commissioned officers);

(iv) Ex-Servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-Servicemen invalidated out of Service;

(vi) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme under un touchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard Service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note—(1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from Service either before

or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the Service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government Service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience.- The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for Service as shown in Schedule-III.

(III) Fees.- (A) The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

(B) The Candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. Disqualification.- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualified for selection.

(1) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any Service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the

Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(2) Any candidate shall not be appointed to any Service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any Service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any Service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his Services may be terminated immediately.

(3) Any candidate shall not be eligible on such condition to any Service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such Service or post.

(4) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any Service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(5) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any Service or post.

(6) No candidate shall be eligible for appointment to a Service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be ineli ble for appointment to a Service or post who has alr dy one living children and next delivery is on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more children are born.

10. Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.- (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission for examination/ interview, shall be allowed to be appear in the examination or interview.

(2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.

11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/Interview.-(1) The selection for recruitment to the Service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.

(3) The selection of the candidates to the Service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.

(4) At the time of recruitment in the Service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(6) In addition to above, the post for person with disability/ex-Servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instructions issued by the Government from time to time.

(7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(8) In addition to above the candidates who may women/ person with disability/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.

(10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).

12. **List of candidates selected by the Commission.-** (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the

list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, person with disability/ex-Servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.

(3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one name and maximum names upto 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

Explanation- While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, decimal number shall be extended to the next integral number.

(4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to the Government for further action regarding appointment.

(5) Subject to the provisions of this rule and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

(7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies

during the valid period, the name of candidate from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.

(8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provisions, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.

(9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.

(10) On extending the validity period of waiting list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.

(11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), shall not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.

13. **Probation.-** (1) Every person directly recruited to the Service shall be appointed on probation for a period of two years.

(2)If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period upto a maximum of 1 year.

(3) During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the Services of such probationer can be terminated.

14. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. Conditions regarding eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of Service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule-IV or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying Service on the Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of Service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of Service/pay scale of the post.

(2)(i) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered as per seniority that shall be sufficient for filling the existing posts in each category and number of expected vacant post due to retirement/promotion during 1 year.

(ii) In such cases where promotion is to be made on merit cum seniority basis, the area for consideration shall be four more than two times of the total vacant posts. If the sufficient number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Government Servants are not available for promotion then the area of consideration may extend upto 7 times of the total vacant posts and filling up of reserved post may be made from the persons belonging to reserved category above mentioned area of consideration. Committee shall consider to fill the vacancies existing under each category in said area of consideration and the anticipated vacancies on account of retirement and promotion the course of 1 year.

(3) The name of public servant in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name upto 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant, whichever is more to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. Preparation of list of suitable candidates.- (1) The Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion to the Service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on

account of retirement and promotions during the course of period of 1 year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list, which shall consist one and minimum upto 25% in each category, shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the Service, as the case may be, then the committee shall record its reason for the proposed supersession.

17. **Consultation with the Commission.-** (1) The list prepared in accordance with Rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-

(i) the record of all the persons included in the list.

(ii) record of all such persons mentioned in column (3) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.

(iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the Service as mentioned in column (3) of Schedule-IV.

(iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.

(2) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

18. Select list.- (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it shall approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in the list received from the Government, the Commission shall inform the Government of the changes proposed and if the Government expresses any opinion after considering it, alongwith such modifications, if any in its opinion that is just and proper, will approve the list.

(3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.

(4) The select list shall ordinarily valid upto 31st December of the calendar year from the date of its preparation.

19. Appointment to the Service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the Service.

20. Probation.- Every person recruited directly or by promotion to the Service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

21. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to tie in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

SCHEDULE – I

(See rule 5)

Classification of service, Scale of Pay and number of posts included in service

S. No.	Name of the post included in the service	No. of posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director, Gramodyog	01	Indian Administrative Service Upper Grade	Upper Grade pay scale
2.	Additional Director, Gramodyog	01	C.G. Directorate of Rural Industries (Handloom Sector) (Gazetted) Service Class - I	37400-67000 Grade Pay 8700
3.	Joint Director (Handloom)	01	C.G. Directorate of Rural Industries (Handloom Sector) (Gazetted) Service Class- I	15600-39100 Grade Pay 7600
4.	Deputy Director (Handloom)	05	Do	15600-39100 Grade Pay 6600
5.	Deputy Director (Technical)	01	Do	15600-39100 Grade Pay 6600
6.	Assistant Director (Handloom/Handicraft Development Officer)	10	C.G. Directorate of Rural Industries (Handloom Sector) (Gazetted) Service Class- II	15600-39100 Grade Pay 5400
7.	Assistant Director (Technical)	02	Do	15600-39100 Grade Pay 5400

SCHEDULE – II

(See rule 6)

Method of Recruitment

Name of Department	Name of Service	Total No. of Posts	Percentage of the number of Posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of members of the services [See Rule 6(1)(b)]	By temporary transfer of the persons of other services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
The Directorate of Gramodyog (Handloom), Chhattisgarh	The Directorate of Gramodyog (Handloom), Chhattisgarh **Gazetted service** **Class I**					
	Director Gramodyog	01				Deputation from I.A.S. cadre
	Add. Director Gramodyog	01	--	100%	--	Filled by Joint Director of Handloom by promotion
	Joint Director (Handloom)	01	--	100%	--	
	Deputy Director (Executive)	05	--	100%	--	

	Deputy Director Technical	01	--	100%		
	Gazetted service Class II					
	Assistant Director (Executive)/ Handicraft Development Officer	10	40%	60%	--	---
	Assistant Director Technical	02	40%	60%	--	---

SCHEDULE – III

(See rule 8)

Age and qualification of the persons to be recruited directly

Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Prescribed educations	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
The Directorate of Gramodyog (Handloom), Chhattisgarh	The Directorate of Gramodyog (Handloom), Chhattisgarh **Gazetted service** **Class II**				
	Assistant Director (Handloom)	21 years	30 years	1. A Bachelor's Degree in Arts, Science or Commerce from a recognized University 2. Preference will be given to those candidates having two year experience of the work relating to the handlooms, Handicraft and other small scale industries and co-operative	
	Assistant Director Technical	21years	30 Years	1. A Three-year Diploma in Handloom Technology /Degree in Textile Weaving from recognized institution. 2. Preference will be given to those candidates having two years experience of the work in textile industry.	

Note – Upper age limit for domicile of Chhattisgarh State will be relaxable according to order issued by General Administration Department of the Government from time to time.

SCHEDULE – IV
(See rule 14)

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to be made	Period of experience of work on the lower post for being eligible for promotion	Name of Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director of Gramodyog Handloom)	The Chhattisgarh Director of Gramodyog (Handloom) Gazetted Service	The Chhattisgarh Director of Gramodyog (Handloom) Exclusive Cadre Gazetted Service		
	Joint Director Handloom	Additional Director Gramodyog	05 years	1. Chairman of the Chhattisgarh Public Service Commission or member nominated by them - Chairman 2. Secretary Government Chhattisgarh Gramodyog Department - Member 3. Director Gramodyog (Handloom) - Member
	Deputy Director (Executive) /	Joint Director Handloom	05 years	do

	Deputy Director Technical			
	Assistant Director (Executive)/ Handicraft Development Officer	Deputy Director (Executive)	05 Years	do
	Assistant Director Technical	Deputy Director Technical	05 years	do
	Senior Inspector (Executive) /Assistant Handloom Officer / Assistant Handicraft Development Officer	Assistant Director (Executive)/ Handicraft Development Officer	05 years	do
	Senior Inspector Technical	Assistant Director Technical	05 years	do

रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक एफ 1-8/2008/(6)52.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) के अंतर्गत शीर्षक "शीघ्रलेखक-III" के सामने कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

    (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10-2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद से :—

(क) **शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए**— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ख) **शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए**— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(ग) **द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए**— उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

2. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) के अंतर्गत शीर्षक "स्टेनो टायपिस्ट" के सामने कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की गति 5,000 की (Key) ड़िप्रेशन प्रतिघंटे (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

3. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) के अंतर्गत शीर्षक "सहायक ग्रेड-III" के सामने कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र.

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)."

4. अनुसूची-तीन के कॉलम (2) के अंतर्गत शीर्षक "डाटा एण्ट्री ऑपरेटर" के सामने कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी और अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी।)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2014

क्रमांक एफ 1-8/2008/(6)52.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-8/2008/(6)52 दिनांक 22-5-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd May 2014

No. F 1-8/2008/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Directorate of Rural Industries (Handloom) Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service, Recruitment Rules, 2012, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For the entries in column (5), against heading "Stenographer-III" under column (2) of Schedule-III, of following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :—

(a) **For Stenographer (Hindi)**— Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(b) **For Stenographer (English)**— Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(c) **For Bilingual Stenographer—** Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

2. For the entries in column (5), against heading "Steno Typist" under column (2) of Schedule-III, of following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) Speed of 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

3. For the entries in column (5), against heading "Assistant Grade-III" under column (2) of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

4. For the entries in column (5), against heading "Data-Entry Operator" under column (2) of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :—

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

OR

Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REGINA TOPPO, Deputy Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 मई 2014

क्रमांक एफ 7-01/2014/32.—संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम डोंगरगढ़ प.ह.नं. 16 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 258 रकबा 3.072 हेक्टेयर जो श्री हरजीत सिंह अरोरा, श्री जनरैल सिंह अरोरा आ. स्व. श्री देशराज सिंह अरोरा व अन्य 03 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा जिसमें त्रुटिवश पहाड़ी चट्टान दर्शित हो गया है, से प्रभावित होने के कारण संशोधित किया जाना आवश्यक है.

2. अतः राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 35(2) के प्रावधानों के अंतर्गत यह समाधान होने के पश्चात्, कि डोंगरगढ़ विकास योजना में वर्णित ग्राम डोंगरगढ़ प.ह.नं. 16 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 258 रकबा 3.072 हेक्टेयर की प्रश्नाधीन भूमि को डोंगरगढ़ विकास योजना में पहाड़ी चट्टान से निकाल दिए जाने की मंजूरी देता है.

3. इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रश्नाधीन भूमि डोंगरगढ़ विकास योजना में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त हुई समझी जावेगी, और वह पार्श्वस्थ भूमि के मामले में सुसंगत योजना के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय विकास के प्रयोजन के लिए स्वामी को उपलब्ध हो जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मई 2014

क्रमांक एफ 9-4/2009/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम 1996 की धारा 11, सहपठित उपकर नियम 1998 के नियम 14 के तहत् राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ.ग.) में पदस्थ उप श्रमायुक्त, श्रीमती सविता मिश्रा एवं श्री एस.एल. जांगड़े को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य हेतु निम्नानुसार क्षेत्रवार अपीलीय अधिकारी नियुक्त करता है और यह निर्देश देता है कि ये उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी जैसी भी स्थिति हो की शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्रों की सीमा से करेंगे :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	क्षेत्र
1.	श्री एस. एल. जांगेड़े, उप श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर	बिलासपुर संभाग एवं सरगुजा संभाग में आने वाले जिले
2.	श्रीमती सविता मिश्रा, उप न, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर	रायपुर, दुर्ग संभाग एवं बस्तर संभाग में आने वाले जिले

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 जून 2013

क्रमांक 08/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	अकलतरी प.ह.नं. 9	2.31	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	अकलतरी जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण हेतु (पूरक प्रकरण).

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 28 मई 2014

क्रमांक/01/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	चारभाटा प.ह.नं. 24	0.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	मुड़पार जलाशय योजना के डुबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 28 मई 2014

क्रमांक/02/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	पण्डरभट्ठा प.ह.नं. 16	0.08	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	झाल जलाशय योजना के डूबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 28 मई 2014

क्रमांक/04/अ-82/2013-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सावजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	पिकरी प.ह.न. 26	2.035	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा.	पिकरी जलाशय के डूबान में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अजन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 26 मई 2014

क्रमांक 05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-तागा, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.84 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	64/2ग	0.17
	64/2छ 64/2झ	0.35
	64/2न	0.07
	64/2प	0.07
	64/2म	0.36
	64/2ज	1.00
	64/2स	1.00
	65/1, 66/2, 67/2	0.10
	81/1	0.73
	82/1	0.48
	83/1	0.59
	83/4	0.64
	124/3	0.50
	131/5	2.02
	144/2	0.54
	176/2क, 176/2ख, 176/2ग	0.56
	176/2/ङ/1	0.29
	176/2/ङ/2	0.20
	176/2/ङ/3	0.15
	176/4	0.75
	176/6	0.21
	176/7	0.20
	183	0.48
	241/1	0.06
	241/3	0.36
	244, 245, 246	0.53
	267	0.05
	268	0.05
	272/1, 273/1	0.13
	281/3	0.02
	2800	0.18
योग	31	12.84

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड उप केन्द्र तागा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 10 मार्च 2014

रा.प्र.क्र.-04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
- (ख) तहसील-पंडरिया
- (ग) नगर/ग्राम-भुवालपुर, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 3.299 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
255/1	0.146
256/11	0.146
255/5	0.109
256/5	0.024
181/3	0.206
181/4	0.138
181/1	0.081
256/12	0.146
256/10	0.150
182	0.032
160/1	0.056
256/4	0.049
269/3	0.036
277/1	0.146
278/1	0.352
280/1	0.194
280/3	0.049
281	0.194
282/1	0.142
157	0.109
158	0.166
159/1	0.146
159/2	0.073
161/3	0.081
161/7	0.077
150	0.085
151/1	0.081
151/3	0.085
योग	3.299

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेगाबोंड़ (कुण्डा) व्यपवर्तन योजना हेतु प्रस्तावित है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 27 मार्च 2014

क्रमांक/348/प्र.क्र. 11/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-चेचानमेटा, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1349	0.14
1429/1	0.11
1434	0.04
1437	0.04
1438	0.01
1439/1	0.14
1532/1	0.05
1532/2	0.05
1589/1	0.13
1597	0.16
1423	0.05
योग 11	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ओड़िया जलाशय योजना का नहर एवं स्पिल चैनल में प्रभावित ग्राम चेचानमेटा हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 27 मार्च 2014

क्रमांक/348/प्र.क्र. 2/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-गातापार, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	292	0.03
	286	0.15
	295/1	0.12
	300	0.05
योग	4	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गातापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार एवं डूबान में प्रभावित ग्राम गातापार हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 27 मार्च 2014

क्रमांक/348/प्र.क्र. 09/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरलू, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल 0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	842/3	0.04
	843	0.01
	847/1	0.10
योग	03	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गातापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार एवं डुबान में प्रभावित ग्राम गातापार हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 27 मार्च 2014

क्रमांक/348/प्र.क्र. 10/अ-82/वर्ष 2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-बेमेतरा
- (ख) तहसील-साजा
- (ग) नगर/ग्राम-जानों, प.ह.नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.19 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
537/1, 537/4	0.53

(1)	(2)
480/6, 480/5	0.15
480/4, 480/3	0.43
480/2, 535	0.14
537/2, 537/5	0.70
537/3, 537/6	0.70
534, 536	0.67
531	0.08
539/1	1.49
480/1	0.30
योग 17	5.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गातापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार एवं डूबान में प्रभावित ग्राम गातापार हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 मई 2014

क्रमांक/क/4146/भू-अर्जन/2014.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-जटांगपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.51 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
292/1	0.28
262/6	0.07
130/1	0.26
292/2	0.27
262/7	0.05
190/1	0.88
130/3	0.33
292/3	0.27
262/5	0.07
130/2	0.26
293/1	0.10
258	0.15
135/1	0.40
117	0.60
291	0.80
295	0.26
294	0.10
124	0.25
293/2	0.11
260/1	0.10
119	0.34
186	0.52
262/1	0.02
262/2	0.02
262/3	0.12
190/2	0.02
188, 189	0.40
123	0.10
125	0.18
126	0.09
128	1.50
262/4	0.02
266/3	0.05
262/8	0.01
118/1	0.60
134/2	0.16
262/9	0.02
266/2	0.05
134/3	0.14
263, 264/2	0.07
264/1क	0.07
260/3	0.10
264/1ख	0.07
260/2	0.11
259	0.03

	(1)	(2)
	133/3	0.25
	133/2	0.40
	133/4	0.26
	92, 97/1ख	0.18
योग	52	11.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—जटांगपुर एनीकट निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर
(निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर)

रायपुर, दिनांक 21 मई 2014

क्रमांक/स्था./एक/श्र.आ./2014/5715.—मैं डॉ. जितेन कुमार, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश 473/7258/16, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक-2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को सारिणी के स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	श्री अरविंद गलपाण्डे	सम्पूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री बयचन्द निया प्रसाद साहू	—तदैव—
3.	श्री रविन्द्र कुमार यादव	—तदैव—
4.	श्री सीताराम ध्रुव	—तदैव—
5.	श्री रविन्द्र कुमार चौहान	—तदैव—
6.	श्री अच्छे कुमार कौशिक	—तदैव—
7.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	—तदैव—
8.	श्रीमती नमिता जॉन	—तदैव—
9.	श्री खेम सिंह गोड़	—तदैव—
10.	श्री रामचरण कौशिक	—तदैव—
11.	श्री रम्मन सिंह मंडावी	—तदैव—
12.	श्री कौशल कुमार प्रजापति	—तदैव—
13.	श्री चैतराम नंदा	—तदैव—
14.	श्री दीनबन्धु तांडी	—तदैव—
15.	श्री राजकरण सिंह चौहान	—तदैव—
16.	श्री महीप यादव	—तदैव—
17.	श्री तोषण प्रसाद तिवारी	—तदैव—
18.	श्री फत्तेसिंह	—तदैव—
19.	श्री नरोत्तम मरकाम	—तदैव—
20.	श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम	—तदैव—
21.	श्री मुकेश कुमार राठौर	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
22.	कु. योशिता शर्मा	सम्पूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
23.	श्री मुकेश देवांगन	—तदैव—
24.	कु. सोनम साहू	—तदैव—
25.	कु. अनिता पात्रे	—तदैव—
26.	श्री हुंकार सिंह मिदार	—तदैव—
27.	कु. भावना देवांगन	—तदैव—
28.	कु. स्वर्णा डेहरे	—तदैव—
29.	श्रीमती संक्रांति भगत	—तदैव—
30.	श्री लाला राम यदु	—तदैव—
32.	श्री रमेश कुमार मंडावी	—तदैव—

जितेन कुमार,
श्रमायुक्त.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मई 2014

क्रमांक 34.—"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "निर्माण मजदूर स्थायी अपंगता एवं दुर्घटना मृत्यु पेंशन योजना" होगा.

(ii) "निर्माण मजदूर स्थायी अपंगता एवं दुर्घटना मृत्यु पेंशन योजना" का लाभ उन्हीं पंजीकृत हितग्राहियों को देय होगा जो स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत पंजीकृत होंगे.

(iii) इस योजना के तहत स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में पेंशन प्राप्त करने हेतु मुख्यमंत्री स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत हितग्राही द्वारा न्यूनतम रुपये 25,000/- जमा करने पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा.

(iv) योजना के तहत हितग्राही द्वारा न्यूनतम रुपये 25,000/- स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत जमा करने पर स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना की दशा में मण्डल द्वारा रुपये 1,00,000/- की राशि पीएफआरडीए में जमा किया जावेगा. ताकि अपंगता/दुर्घटना की स्थिति में हितग्राही/आश्रित को पेंशन प्राप्त हो सके.

(v) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(क) मण्डल द्वारा 21 से 60 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण मजदूरों को योजना में शामिल किया जावेगा.

(ख) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) स्थायी अपंगता की स्थिति में आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर से एवं दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में नामित को आवेदन करना होगा.

(ii) दो रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज) फोटो पहचान पत्र, निवास तथा आयु प्रमाण पत्र.

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iv) आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख :—

(क) दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में नामित द्वारा शपथ पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

(ख) स्थाई अपंगता की स्थिति में डाक्टर का प्रमाण पत्र जो सहायक सर्जन स्तर से कम का न हो द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जमा करना होगा.

(ग) दुर्घटना के एफ.आई.आर. की प्रति.

(घ) दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट की प्रति.

(ङ) दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र.

(v) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(इ) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई/विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

सविता मिश्रा,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 12 मई 2014

क्रमांक 75/दो-3-10/2005.—श्रीमति मीनाक्षी गोंडाले, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 07-04-2014 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2011 से 31-10-2013 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीगसढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.